

अनुमति यी शर्तें ।

- (i) प्रकृत धारण/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृत स्थलिय विवरण नहीं बनती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (स्थायिक, राजस्विय, जमीनगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम को कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी व्यक्ति के लिए उत्तरदायक होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निगम को ज्ञात कराती है ।

मिल 130मी केवल ~~अवकाश~~ उपयोग

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 156 दिनांक 01/07/2019

धारा 130 परमजिह्म नियम एवं 130मी केवल

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 144 (7) (घ) के तहत भव्यारीय

भवन निर्माण हेतु कार्यालय कार्यालय में पेश

कर स्वीकृति प्राप्त करके 130मी केवल

जमीन स्वीकृत मरहम 2069/4939, 4940

दिनांक 01/07/2019 को जमा करा दी है ।

जीके  
कार्यालय  
राम डिपारन  
जोधपुर

प.नो- 130

कार्यालय नगर निगम

जोधपुर

जोधपुर

प्रारंभिक  
नगर निगम, जोधपुर

मो राम मानसूर  
सहायक नगर निर्माणक  
नगर निगम, जोधपुर

Received  
Filed  
9625043712